न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
135/2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	06.11.2017	20.12.2017

उनवान सरकार बनाम हरपाल उर्फ हजारीलाल पुत्र सुरजाराम जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का खानपुर ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्रम सातड़िया की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड़ ख0न0 347/1 कुल रकबा 15.86 है0 किस्म गै0मु0जोहड़ में से 150 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमी श्री हरपाल उर्फ हजारीलाल पुत्र सुरजाराम जाति अहीर निवासी सातड़िया ने अवैध रूप से 10 क्विंटल पत्थर व मलबा डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी असालतन तामिल मय अभिभाषक अनुपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में 10 क्विंटल पत्थर व मलबा डालकर अतिक्रमण किया गया है। जिनको दिनांक 5.10.2017 को पटवारी हल्का खानपुर व भू0अ0निरीक्षक द्वारा कुर्क किये जाकर श्री प्रभुदयाल पुत्र टीकूराम जाति अहीर को सुपुर्द किये गये है। जिनको निलाम किया जाकर फर्द निलामी न्यायायल में पेश करे। एवं अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से 10 क्विंटल पत्थर व मलबा डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 27.61/— का अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.40 की 50 गुणा जुर्माना राशि 20/— बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली/निलामी/ हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 20.12.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भँवर लाल कुमावत)
नायब तहसीलदार बुहाना
(कार्यवाहक तहसीलदार बुहाना)

90
1 20

Suman

Scanned by CamScanner